

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
मेन्टर एंग लीन इंडिया लि. v/s धर्नेश केणन व अ-य
प्रकरण संख्या :- 143/24

Gcms No - 2024/520

30/4
25

पत्रावली पेश डी अपार्षी धर्नेश केणन
द्वारा जलाब शर्मा पत्र दिनांक 16/4/25 को
पेश किया जिसकी प्रति अपार्षी अधिवक्ता
की ही आकट साक्षि पत्रावली किया।

पत्रावली का अध्ययन किया गया। विलिय
संस्था द्वारा अपार्षीगण को 13(2) नोटिस
दिनांक 07/02/20 को जारी किया गया तथा
ट्रैकिंग रिपोर्ट भी पेश की गई। विलिय
संस्था द्वारा 13(2) नोटिस जारी दिनांक
07/02/2020 के लगभग 4 वर्ष पश्चात सरकेली
एक्ट 2002 के तहत प्रकरण तैयार कर पेश
किया गया। विलिय संस्था/ बैंक आवेदन/ शर्मा
पत्र में उक्त अवधि के दौरान प्रदण
सम्बन्धित किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं
दिया गया। अतः 13(2) नोटिस दिनांक 07/02/20
जारी करने की लम्बी अवधि (4 वर्ष) के
पश्चात सरकेली एक्ट 2002 के तहत प्रकरण
पेश किया। उक्त विवेचनानुसार विलिय संस्था/
बैंक शर्मा पत्र स्वस्थ किया जाता है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली के तब प्रमाण
के तहत दखिल पत्र है।



जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)